“Evidentiary value of statement under section. 161 and 162 of Criminal Procedure Code,1872.”

“दंड प्रक्रिया संहिता,1872 की धारा 161 और 162 के अंतर्गत कथन का साक्ष्यिक मूल्य।”

धारा 161, दंड प्रक्रिया संहिता :- पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा-

- (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

- 2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।
- (3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक् और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

- परंतु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा।
- परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354च, धारा 376, धारा 376क, धारा 376, धारा 376ग धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509, के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अधिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

धारा 162, दंड प्रक्रिया संहिता :- पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग-

- (1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा :

- परंतु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है तो, अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनःपरीक्षा में भी, किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है ।

- (2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है ।
- **स्पष्टीकरण** :- उपधारा (1) में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण और अन्यथा सँगत प्रतीत होता है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है या नहीं यह तथ्य का प्रश्न होगा।

धारा 161 में दिए गए कथनों का साक्ष्यिक मूल्य :-

- अनिवार्य रूप से, सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत एक कथन पर साक्षी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 162 के अन्तर्गत प्रतिबंधित है। इस धारा का उल्लंघन न्यायालय में पेश होने पर साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम कर सकता है। किंतु, यह विधि का नियम नहीं है कि अन्वेषण के दौरान अंकित किए गए कथन पर कथनकर्ता के हस्ताक्षर होने पर उसके कथन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यद्यपि, ऐसे मामले में, न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए।
- **बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1991 SC 31** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा161 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए कथन सारभूत साक्ष्य की परिधि में नही आते है।

धारा 162 में दिए गए बयानों का साक्ष्य मूल्य : -

- धारा 162 के उपबंध प्रक्रिया विधि में साक्ष्य का नियम बताते है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को दिए कथनों का साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा और कुछ परिस्थितियों में नहीं। धारा 161 के उपबंध अभियुक्त और साक्षी दोनों पर लागू होते हैं,

जैसे कि:

1) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत इन कथनों का उपयोग मृत्युकालिक कथन के रूप में किया जा सकता है, यदि कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु इसलिए न्यायालय में उसके द्वारा कथन किए जाने से पूर्व हो जाती है।

2) जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के उपबंधो की अपेक्षा पूरी करते हुए ऐसे कथन अभियुक्त द्वारा किए गए हैं।

3) ऐसे कथन का प्रयोग धारा 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साक्षी के साक्ष्य का खंडन करने के लिए प्रयोग किए जा सकते है ।

4) इन कथनों का प्रयोग प्रतिपरीक्षा में उत्पन्न होने वाली किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से पुनः परीक्षा में स्पष्ट करने हेतु किया जा सकता है ।

5) इन कथनों का प्रयोग न्यायालय की सहमति से अभियोजन पक्ष द्वारा जब साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है, तब किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष साक्षी से प्रतिपरीक्षा कर सकता है और प्रतिपरीक्षा में असंगतता साबित करने के लिए इन कथनों का प्रयोग कर सकता है।

प्रासंगिक मामले :-

- **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम. के. एंथोनी, AIR 1985 SC 43** में माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसे कथनों पर जो अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति से संबंधित हो, साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाते है तो वे मात्र इस आधार पर साक्ष्य में अग्राह्य नही हो जायेंगे। उन कथनों की ग्रह्यता के समय न्यायालय को विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी।

- **स्टेट ऑफ यूपी बनाम व्यास तिवारी, AIR 1981 SC 635** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 162, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध रेलवे संपत्ति अविधिपूर्ण कब्जा अधिनियम,1966 की धारा 8(1) के अंतर्गत विवेचना कर रहे रेलवे सुरक्षा बल के किसी अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कथनों पर लागू नहीं होते है, क्योंकि ऐसा अधिकारी धारा 162 के अर्थ में विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी नही होता ।

धन्यवाद

THANK YOU